

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विश
	27/4/21	वकीलों द्वारा आज कलकत्ता न्यायालय में पेश किया गया प्रमाणित रूप से पत्रावली गत महीने के अनुसार दिनांक 27/5/21 को पेश हो।	
	27/5/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर के/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/6/21 को पेश हो।	
	25/6/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर के/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/7/21 को पेश हो।	
	27/7/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर के/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/7/21 को पेश हो।	
	28/7/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर के/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/9/21 को पेश हो।	
	3/9/21	प्रसाइडिंग ऑफिसर के/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/10/21 को पेश हो।	
28-18-21		पत्रावली आज कोर्ट में पेश हुई। वरिष्ठ उपायवही द्वारा मूल में वाद नकारा व ड्राइंग सिद्धि का पेश किया गया है। विवादित अराजकीयात में इनमें पश्चिम दिशा में स्थानों पर दोनो पक्षकारों के शान्ति वनी के अन्तर्गत अन्वय	

# फर्द अहकाम

(A)

सहायक कलेक्टर चोंमू जयपुर  
 मोहम्मद शायबु बमाम मोहम्मद इसाहम को

कदमा संख्या / वर्ष : 36/2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	अन्तर्िम धारा 212 रो. 10-19 - आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>है। इस कार्यालय से दिनांक 1-10-19 को अन्तरिम अस्थाई निर्देश जारी की गयी थी। अन्तरिम अस्थाई निर्देश जारी किए दो साल का समय हो चुका है अतः दोनों पक्षकारान में शान्ति व्यवस्था बनी रखने के लिए इस कार्यालय से जारी अन्तरिम अस्थाई निर्देश दिनांक 1-10-19 के आदेश को बाद के फैसले तक कन्फर्म की जाती है। दोनों पक्षकारान को तावाद फैसले तक उभयपक्षकारान को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजित आन खे नं 3401 से 3402 तक, 989 कुल बिता पका कुल बकवा 605 हेक्टीयर भूमि बकि ग्राम सिंगरिया की मेंके एवं रिकडि की तावाद फैसले मध्यास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फासल ही दर्ज नम्बर से कम होकर भूस रद के साथ रखन है।</p>	
		<p>सहायक कलेक्टर                  (फास्ट ट्रेक)                  चोंमू (जयपुर)</p>	